

मिसल नं. 2/22/200

तारीख रजु

श्रीया

बनाम

रमेश वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

03.07.2020

वकील प्रार्थीया उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थीया ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जेमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगणको पाबंद कराने का निवेदन। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया। व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अपलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया के व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0 413 वाके ग्राम तिगरीया तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में रुकावट/मजाहमत पैदा न करे।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज हो तो दिनांक 21.08.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 21.08.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)

21.8.2020

बहुलाय करीबन 500/100
वाहन (402021)
एवावली दिनांक 25.1.2021
को पेश हो।

25.9.2020

वकील जकी उपस्थित। पत्रावली का ज
मूल वाद के साथ पेश की। वकील
जकी ने पत्रावली पेश कर अपने मूल
वाद को स्पष्ट करवा लिया है। व
पत्रावली में पत्रावली जाने के
बाद को पेश की है। 25.9.2020
पत्रावली स्पष्ट किया जाता है। पत्रावली
मामलू 25.9.2020 को वाद के साथ पेश की है। पत्रावली

2.15
मीर
9.11
Gadga